

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान
प्रकरण संख्या 39/24

दायरा दिनांक 12.01.2024

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)
ख्यालीचन्द पुत्र पेमा उम्र 52 वर्ष जाति गोंहजा निवासी समरानिया तहसील शाहाबाद
जिला बारां राजस्थान वादी

बनाम

- 1-हरगोविन्द पुत्र पेमा जाति गोंहजा निवासी समरानिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 2-देवीलाल पुत्र पेमा जाति गोंहजा निवासी समरानिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 3-रुकमणी पुत्री पेमा पत्नि राजाराम जाति गोंहजा निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 4-गायत्री पुत्री पेमा पत्नि नन्दकिशोर जाति गोंहजा निवासी समरानिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 5-राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार शाहाबाद जिला-बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा वास्ते विभाजन अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट 1955

अंतिम निर्णय दिनांक- 01.05.2024

उपस्थित- वादी की ओर से-श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 की ओर से-श्री पंकज शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी 5 की ओर से -पेरोकार सरकार

उक्त उनवानी वाद को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2024 से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 219 ख0नं0 766 रकबा 4.03 बीघा तथा खाता संख्या 232 ख0नं0 881/1287 रकबा 9.08 बीघा, ख0नं0 882 रकबा 4.10 बीघा व ख0नं0 941/1193 रकबा 3.12 बीघा कित्ता 3 कुल रकबा 17.10 बीघा ग्राम समरानिया तहसील शाहाबाद में से वादी हिस्सा 1/5 का विभाजन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना में दिनांक 30.04.2025 को तहसीलदार शाहाबाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया, जिसे दोनो पक्ष ने स्वीकार कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहाबाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	- रकबा	किस्म	लगान
1-	ख्यालीचन्द पुत्र पेमा जाति गोंहजा सा.देह	766	- 0.17 बीघा	बा.तृ.	
2-	हरगोविन्द देवीलाल पुत्र पेमा रुकमणी गायत्री पुत्रियां पेमा जाति गोंहजा सा.देह	766	- 0.17 बीघा	बा.तृ.	लगान

01.05.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

खाता संख्या 232

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	- रकबा	किस्म	लगान
1-	ख्यालीचन्द पुत्र पेमा जाति गोंहजा सा.देह	881/1287	- 1.18 बीघा	बा.चा.	
		दक्षिणी			
		882	- 0.18 बीघा	बा.तृ.	
		पूर्वी			
		941/1193	- 0.14 बीघा	बा.चा.	
		दक्षिणी			

किता 3 कुल 3.10 बीघा

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	- रकबा	किस्म	लगान
2-	हरगोविन्द देवीलाल पुत्र पेमा रूकमणी गायत्री पुत्रियां पेमा जाति गोंहजा सा.देह	881/1287	- 7.10 बीघा	बा.चा.	
		उत्तरी			
		882	- 0.18 बीघा	बा.तृ.	
		पश्चिमी			
		941/1193	- 0.14 बीघा	बा.चा.	
		उत्तरी			

किता 3 कुल 14.00 बीघा

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर ग्राम समरानिया तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी खाता संख्या 219 ख0नं0 766 रकबा 4.03 बीघा तथा खाता संख्या 232 ख0नं0 881/1287 रकबा 9.08 बीघा, ख0नं0 882 रकबा 4.10 बीघा व ख0नं0 941/1193 रकबा 3.12 बीघा किता 3 कुल रकबा 17.10 बीघा में से वादी हिस्सा 1/5 का उपरोक्तानुसार अनुसार विभाजन किया जाता है, उपरोक्तानुसार वादी का प्रथक खाता कायम कर तरमीम की जावे। वादी को विभाजित हिस्सा 1/5 पर बाद पैमायश दखल दिया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के विभाजित हिस्सा 1/5 कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

01.05.2025
 उपखण्ड अधिकारी
 शाहावाद
 शाहावाद जिला पंच (सच.)